दिनांक–21.05.2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   (1) श्री आनन्द शर्मा, निदेशक
   (2) श्रीमती प्रीति तोंगरिया, विशेष सचिव
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (5) श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव
   (6) श्री प्रताप भानु कुमार, आंतरिक वित्तीय सलाहकार
   (7) श्री गोपाल शरण, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक दक्षिण बिहार के 17 जिलों में कुल 82 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु इस माह तक निश्चित रूप से भूमि चयन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी दक्षिण बिहार के 10 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त किया गया है। निदेश दिया गया कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा एवं स्थल निरीक्षण करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर निर्माण कराना सुनिश्चित करें। जिला पंचायत राज

कृ०पृ०उ०.....

पदाधिकारी इसकी पाक्षिक समीक्षा करते हुए स्वयं स्थल निरीक्षण करेंगे। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी इसकी समीक्षा अपने स्तर से करेंगें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी फेजों को मिलाकर जिला औरंगाबाद, जमुई, नवादा एवं शेखपुरा का Installation against Work Order का प्रतिशत काफी कम है। इन सभी जिलों को निदेश दिया गया कि अधिष्ठापन कार्य में तेजी लाया जाए ताकि कार्य ससमय पूर्ण हो सके। समीक्षा में सभी DDC एवं DPRO को यह निदेश दिया गया कि CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि एवं सेवा की गुणवत्ता मानी जाए।

कुछ जिलों यथा भागलपुर, बक्सर, जमुई, लखीसराय, नालन्दा, पटना एवं रोहतास में अधिष्ठापन के विरूद्ध भुगतान कम पाया गया है। इन सभी जिलों में निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए विधिवत भुगतान में तेजी लाया जाए। जिन–जिन जिलों में विधिवत भुगतान किये जाने के उपरांत भी एजेंसी द्वारा कार्य एकरारनामा की शर्तो के अनुसार नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया है कि बांका, भागलपुर, गया, जमुई, लखीसराय, अरवल, नालन्दा एवं पटना जिलों में Signal Loss एवं Faulty सोलर स्ट्रीट लाईटों की संख्या अधिक है। सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह CMS Portal के माध्यम से समीक्षा कर एकरारनामा के अनुसार एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

जिलों में अधिष्ठापित लाईटों के Maintenance हेतु निदेशित किया गया कि प्रत्येक 10,000 लाईटों पर एक Service Center संबंधित एजेंसी द्वारा स्थापित किया जाना है, इसका अनुपालन एवं क्रियाशिलता को सुनिश्चित करावें। सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि एजेंसी द्वारा Schedule Maintenance से संबंधित साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए तथा तद्नुसार Regular schedule maintenance किया जाए।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

III. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के निम्न भुगतान की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग/षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा काफी कम की गयी है, जो चिन्ताजनक है, जिसमें शतप्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि BPRO प्रत्येक सप्ताह सभी पंचायतों के द्वारा व्यय की गयी राशि की पंचायत सचिवों के साथ समीक्षा करेंगें एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन संबंधित DPRO को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। जिन पंचायतों में व्यय कम हो रहा है उस पंचायत का भ्रमण DPRO स्वयं कर आवश्यक कार्रवाई करेंगें। DPRO पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मासिक बैठक करेंगें एवं जिस पंचायत समिति में व्यय कम हो रहा है वहाँ स्वयं भ्रमण कर आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

(अनुपालनः– संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

(क) दक्षिण बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

रोहतास, गया जी, पटना, नालन्दा, औरंगाबाद, भोजपुर, भागलपुर एवं नवादा जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति देख लें तथा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु कार्रवाई करें।

(ख) C.A Audit Progress Report (FY: 2023-24) :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर एवं लखीसराय जिलों के पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी एवें वार्डों का ऑडिट प्रतिशत निम्न् है, इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी। इन सभी जिलों को निदेशित किया गया कि C.A Firm के साथ समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र ऑडिट प्रतिशत शत–प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. पंचायत समिति संसाधन केन्द्र को (एक करोड़) दी गयी राशि के वापसी का प्रतिवेदन :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भागलपुर, गया जी, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय एवं पटना जिलों में 01 करोड़ की राशि जमा नहीं करने वाले प्रखंडों की संख्या अधिक है, जिसपर चिन्ता व्यक्त की गयी है। इन सभी जिलों को निदेशित किया

लगातार.....

गया कि पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत उपलब्ध कराई गयी राशि यथाशीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/6921/पं०रा० पटना, दिनांक 02/6/2025
प्रतिलिपिः–दक्षिण बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/6921/पं०रा० पटना, दिनांक 02/6/2025
प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/6921/पं०रा० पटना, दिनांक 02/6/2025
प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव